राजस्थान सरकार

## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी–सुश्री महिमा कसाना, आई.ए.एस.

1. राजस्व वाद संख्या– 75/2023
2. जी0सी0एम0एस0 संख्या– 2023/219
3. दायर दिनांक–18.12.2023
4. निर्णय दिनांक– 29.11.2024

उनवानी–

1. श्रीकिशन पुत्र बलदेव जाति बलाई निवासी ग्राम रामपुरा तह0 रूपनगढ़

....वादी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़, जिला अजमेर

....प्रतिवादी

राजस्व वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 रा0का0अधि0 1955 व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राज0 अधिनियम 1956

निर्णय

उपस्थिति– 1. श्री विमल किशोर तिवाड़ी वकील वादी
2 पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी की एकल कब्जे काश्त एवं खातेदारी तथा संयुक्त गैर खातेदारी की कृषि भूमि वाकै ग्राम रामपुरा पटवार हल्का बुहारू भू–अ0नि0 क्षेत्र हरमाड़ा तहसील रूपनगढ़ में स्थित हैं जिसके वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी अनुसार खाता संख्या नया 20 के ख0न0 272, 576/105, 615/238 कुल खसरा 3 कुल रकबा 0.6795 है0 भूमि है जिसमें वादी का हिस्से सम्पूर्ण एकल खातेदारी में दर्ज है तथा खाता संख्या 248 के ख0न0 378 व 421 कुल खसरा 2 कुल रकबा 1.5147 है0 में वादी का संयुक्त गैर खातेदारी में हिस्सा 1/16 दर्ज है जिसमें वादी का गलत नाम किशना पुत्र बलदेव दर्ज है। वाद वर्णित खाता एवं खसरा नम्बरान की आराजीयात में राजस्वं रिकार्ड जमाबन्दी अनुसार वादी का हिस्सा अन्तर्निहित है। उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में वादी का नाम किशना पुत्र बलदेव का इन्द्राज किया हुआ है जबकि वादी का सही एवं वास्तविक नाम श्रीकिशन पुत्र बलदेव है। वाद वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नामान्तरकरण दर्ज करते समय वादी को जानकारी नहीं थी क्योंकि अशिक्षित है व नामान्तरकरण की समझ वादी को नहीं थी। इसलिए सहवन से दर्ज हो गया था। वादी के आधार कार्ड, बैक पास–बुक, मतदाता पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड, जोब कार्ड व ग्राम छिर्र पटवार हल्का गहलोता के खाता संख्या 283 में श्रीकिशन पुत्र बलदेव नाम दर्ज है। वादी की वाद वर्णित कृषि भूमि में वादी का नाम किशना पुत्र बलदेव दर्ज होने से वादी के अलग–अलग नाम अंकित होने से वादी को किसान कार्ड बनवाने, राज्य सरकार द्वारा जारी अनुदान [illegible] एवं अपनी कृषि भूमि का विकास करने व मुआवजा प्राप्त करने में काफी परेशानियों का [illegible] पड़ता है। जबकि वादी किशना पुत्र बलदेव व श्रीकिशन पुत्र बलदेव दोनों [illegible] है। वाद वर्णित आराजी में वादी का नाम किशना पुत्र बलदेव का इन्द्राज किया हुआ है जबकि वादी का सही एवं वास्तविक नाम श्रीकिशन पुत्र बलदेव है। उक्त खाते में वादी के नाम घोषणा [illegible] क डिक्री व इन्द्राज को [illegible] करवा कर राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम किशना पुत्र बलदेव के नाम को शुद्धिकरण करवा कर वादी का

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahima Kasana
Date: 2024.12.02 13:58:37 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

सही नाम श्रीकिशन पुत्र बलदेव के नाम से इन्द्राज दुरूस्ती करवाने के लिए वाद पत्र न्यायालय में पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रतिवादी भूमिधारी होने से वाद में पक्षकार संयोजित किया गया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जरिये सम्मन की गयी। प्रतिवादी का सम्मन तामिलशुदा प्राप्त। प्रतिवादी (तहसीलदार रूपनगढ) की ओर से प्रकरण में जवाब पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण में वकील वादी ने शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सी0पी0सी0 पेश किया, जिस पर वादी के बयान दर्ज किये गये तथा वादी द्वारा वाद पत्र के समर्थन में फर्द दस्तावेज यथा परिवार राशन कार्ड, बैंक पास बुक, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड की प्रतिलिपियां व ग्रम पंचायत बुहारू द्वारा जारी प्रमाण–पत्र पेश किया है।

प्रकरण में वकील वादी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गयी। वकील वादी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादी की वाद वर्णित कृषि भूमि में वादी का गलत नाम किशना पुत्र बलदेव दर्ज है जबकि वादी का सही व वास्तविक नाम श्रीकिशन पुत्र बलदेव के नाम उदघोषणा की डिकी प्रदान करके उक्त नाम का अंकन राजस्व रिकार्ड में किये जाने हेतु वादी के पक्ष में आदेश फरमाने की कृपा करावें। तहसीलदार रूपनगढ़ ने दौराने बहस अपने जवाब को ही बहस माने जाने हेतु निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन व बहस पर मनन किया। वादी ने वाद पत्र के समर्थन में फर्द दस्तावेज व साक्ष्य यथा परिवार राशन कार्ड प्रतिलिपि, बैंक पास बुक प्रतिलिपि, मतदाता पहचान पत्र प्रतिलिपि, आधार कार्ड, प्रतिलिपि व ग्रम पंचायत बुहारू द्वारा जारी प्रमाण–पत्र पेश किया है। उक्त दस्तावेजात् के आधार पर वादी का नाम श्रीकिशन पुत्र बलदेव सिद्ध होता है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम रामपुरा के खाता संख्या 20 के ख0न0 272, 576/105, 615/238 व खाता संख्या 248 के ख0न0 378 व 421 की भूमि में वादी के दर्ज नाम किशना पुत्र बलदेव के स्थान पर श्रीकिशन उर्फ किशना पुत्र बलदेव दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2024 को लिखवायां जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया व शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahima Kasana
Date: 2024.12.02 13:58:37 IST
Reason: SelfAttested

<u>मूल वाद में डिक्री</u>

(आर्डर 20, रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

(Civil procedure code Appendix D-1)

<u>अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम रूपनगढ (अजमेर)</u>

व इजलास सुश्री महिमा कसाना, आई.ए.एस

राजस्व वाद सं0– 75/2023

1. श्रीकिशन पुत्र वलदेव जाति वलाई निवासी ग्राम रामपुरा तह0 रूपनगढ़

....वादी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़, जिला अजमेर

....प्रतिवादी

राजस्व वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 रा0का0अधि0 1955 व 136 भू–राज0 अधिनियम 1956

यह मुकदमा आज जरिये इजलास कतई रू–व–रू सुश्री महिमा कसाना, आई.ए.एस व हाजरी वादी मिनजानिब मुद्दई व प्रतिवादी मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर डिक्री किया जाकर ग्राम रामपुरा के खाता संख्या 20 के ख0न0 272, 576/105, 615/238 व खाता संख्या 248 के ख0न0 378 व 421 की भूमि में वादी के दर्ज नाम किशना पुत्र वलदेव के स्थान पर श्रीकिशन उर्फ किशना पुत्र बलदेव दर्ज करने के आदेश दिये जाते है।

असप्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 29.11.2024 को जारी की गई।

महिमा कसाना
(आई.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahima Kasana
Date: 2024.12.02 13:58:37 IST
Reason: SelfAttested